कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद न्यायालय, श्रावस्ती परिसर में कैण्टीन व जनपद न्यायालय परिसर के बाहर स्थित वाहन पार्किंग स्टैण्ड के सम्बन्ध में खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 25-03-2025 को सायंकाल 4.00 बजे जनपद न्यायालय, श्रावस्ती के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री अमित प्रजापति अपर सत्र न्यायाधीश/श्रावस्ती की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

जिला न्यायालय परिसार कैण्टीन व जनपद न्यायालय परिसर के बाहर स्थित वाहन पार्किंग स्टैण्ड की नीलामी की शर्तों का विवरण इस प्रकार है-

क्रम सं०	स्थल	धरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि
1	कैण्टीन भवन	25,000/-	2,16,000/-
2	वाहन पार्किंग स्टैण्ड	25000/-	2,60,000/-

नीलामी की शर्ते व नियम निम्न प्रकार से होगें-

01- ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दिनांक 01-04-2025 से दिनांक 31.03.2026 तक के लिए होगी।

02- नीलामी मे भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति कैशियर से आवेदन फार्म निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकगण से यह अपेक्षित है कि वे इच्छित मद की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती के पक्ष में देय होगा, निर्धारित फार्म के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 22-03-2025 को सांय 04 बजे तक जमा कर दिनांक 25-03-2025 को सायं 04 बजे नीलामी मे सम्मिलित हो सकते हैं।

03- न्यायालय परिसर मे नशीली व अन्य अवैध वस्तुए प्लास्टिक, पॉलीथीन धूम्रपान सामग्री अथवा ज्वलनशील पदार्थ नही बेची जायेंगी।

04- ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं एव स्टाल संबंधी अस्थायी व्यवस्था स्वयं करेगें।

05- ठेके से संबंधित किसी भी विवाद पर जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

06- नीलामी ठेका पक्ष मे होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100 रूपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।

07- ठेकेदार ऐसे दो व्यक्ति को जमानतदार के रूप मे नाम पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा, जिससे ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने पर धनराशि वसूल की जायेगी।

09- प्रत्येक सफल बोलीदाता को ठेके की धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप मे तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह मे जमा करनी होगी।

10- किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने के उपरान्त निरस्त नही की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम त्रैमास की किस्त जमा करने के उपरान्त ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

12- सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चतुर्थ त्रैमास की किस्त मे समायोजित की जायेगी।

13- आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति वाले, पूर्व मे ठेके की किस्त न जमा करने वाले व्यक्तियों को जमानतीयों की बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

14- कैन्टीन में ब्रिकी हेतु उपलब्ध प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकेदार द्वारा नजारत अनुभाग को उपलब्ध करानी होगी।

15- सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वय के नाम पर दर्ज चल-अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की छायाप्रति नजारत अनुभाग में उपलब्ध करानी होगी।

16- खाद्य पदार्थ की वस्तुएं मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकेगी। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा ।

17- माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/ए०ए० दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थों के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थो के मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेचेगा।

18- माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र संख्या 14 दिनांकित 08.02.1956 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी मे उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते हैं।

उक्त ठेका नीलामी के सबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.30 बजे तक के मध्य केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय श्रावस्ती में सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

Amit 28/11/25

(अमित कुमार प्रजापति)
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला न्यायाधीश/
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.04-2025 से 31-03-2026 तक) हेतु

जनपद न्यायालय,श्रावस्ती के प्रांगण में स्थित कैण्टीन एवं जनपद न्यायालय परिसर के बाहर स्थित वाहन पार्किंग स्टैण्ड की बोली हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप-

आवेदक का नाम- ....

पिता का नाम-..

लिंग-....................................

जन्म तिथि-.................................

स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

स्थाई पता-...

पत्र व्यवहार का पता..

आधार कार्ड संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)-.......................................

मो० नं०-...

बोली का प्रयोजन- कैण्टीन/वाहन पार्किंग स्टैण्ड

जमा किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट का विवरण-

जारीकर्ता बैंक का नाम व शाखा	बैंक ड्राफ्ट संख्या	निर्गत तिथि	धनराशि

उपरोक्त तथ्य मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य हैं। कोई भी तथ्य असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक-........................

हस्ताक्षर..........

आवेदक का नाम-............................

....

प्राप्ति रसीद-

श्री/श्रीमती......................................पिता का नाम............................से बैंक ड्राफ्ट सं० ....धनराशि..........................कैण्टीन/वाहन पार्किंग स्टैण्ड ....की बोली के धरोहर धनराशि के रूप में प्राप्त किया।

नोट-आवेदक बोली के समय प्राप्ति रसीद व अपना मूल आधार कार्ड पहचान के रूप में अवश्य लायेंगें।

हस्ताक्षर